

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ०प्र०,
लखनऊ

नगर विकास अनुभाग-9

लखनऊ : दिनांक 20 मई, 2016

विषय- 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16, में प्राप्त सामान्य बुनियादी अनुदान के रूप में नागर निकायों को स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता अवधि बढ़ाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में समस्त नागर निकायों को सामान्य बुनियादी अनुदान की स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि दिनांक 31 मार्च, 2017 तक इस शर्त के अधीन बढ़ाई जाती है कि समस्त नागर निकायों द्वारा प्रत्येक दशा में अप्रयुक्त धनराशि का नियमानुसार व्यय/उपभोग करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र पर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र०, लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त अवधि से आगे की उपयोगिता अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी।

3. निर्धारित अवधि में उक्त धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में कर लिया जाय। बढ़ायी जाने वाली समय-सीमा के अन्तर्गत धनराशि के पूर्ण उपयोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती रहे, जिससे कोई भी धनराशि किसी भी कारण से अप्रयुक्त न रह जाय।

4. प्रकरण में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

भवदीय,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव,

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय), उ०प्र०
2. समस्त कोषाधिकारी(द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय), उ०प्र०
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
4. सम्बन्धित अधि. अधिकारी, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उ०प्र०।
5. वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन(केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1
7. गार्ड फाइल/वेब मास्टर, वेब साइट पर लोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।